


2/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी गण के सम्मन के बाहू तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रूक-रूक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व लाल  
अहकाम जो  
दुकम की लाल  
में जारी है

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 193/22 प्रा0पत्र

श्री जगु 5/0 श्री कालू गुर्जर निवासी-कपपुरा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्रीमती राधा 4/0 श्री भैकलाल गुर्जर निवासी-कपपुरा तहसील-माण्डल (विधवा)  
(संलग्नित प्रा0पत्र संलग्न)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम-कपपुरा.....पटवार हल्का-लुहारिया.....तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं० 235/2, 252/2, 254/2 कुल कित्ता.....06.....रकबा.....1.087/7 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतवायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की दी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.22 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को फलार्थ से ग्रहं वात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का रा है। वैन भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नरिंक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम-कपपुरा पटवार लुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 235/2, 252/2, 254/2, 273/2, 270/2, 720/2 कित्ता.....06.....रकबा.....1.087/7.....हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारि जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नं० लुहारिया.....को.....700-1 रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने कराने की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकीले बिन्दु को आधार पत्थरगढ़ी की जायें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

लफि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा